रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20, 1972/वैशाख 30, 1894
No. 146] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20, 1972/VAISAKHA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 20th May 1972

G.S.R. 282(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 199/66-Central Excises, dated the 16th December, 1966, namely:—

In the said notification, in the Table, in S. No. 10(c) for the letters, figures and words "Rs. 352.20 per metric tonne" occurring in column 3, the letters, figures and words "Rs. 697.20 per metric tonne" shall be substituted.

[No. 139/72-C.E./F. No. 87/2/72-CX-3.]

K. VISWANATHAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 20 मई, 1972

सा० का० नि० 282 (अ) खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद एवं सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 16 दिसम्बर, 1966 की अधिसूचना सं० 199/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी ग, क्रम सं० 10 (ग), स्तम्भ—3 में आने वाले "352.20 रु० प्रति मीटरी टन" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "697.20 रु० प्रति मीटरी टन" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[सं० 139/72-कें०उ०शु०/फा०सं० 57/2/72-सी०एक्स०-3]

के० विश्वनाथन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972